

**CENTRAL MARKS DEPARTMENT-**

**Ref: CMD-2/G-18**

**04 04 2018**

**Subject: Circular regarding Making Fee**

The Marking Fee approved by the Competent Authority, which is effective from 03 04 2018, are attached for compliance by all BOs

**Sd/-**

**Secti**

**on Officer**

**Head CMD-2**

**Circulated to all ROs/BOs**

**Copy to: ITS for hosting on Intranet**

**केंद्रीय मुहर विभाग-2**

**संदर्भ: के.मु.वि.2/जी-18**

**04 04 2018**

**विषय: मुहरांकन शुल्क परिपत्र**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मुहरांकन शुल्क, जो 03 04 2018 से प्रभावी हैं, सभी शाखा कार्यालयों के अनुपालन हेतु संलग्न है ।

**हस्ता/-**

**अनुभाग**

**अधिकारी**

**प्रमुख (के.मु.वि.2)**

**सभी क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों को परिचालित**

**प्रतिलिपि: आई टी एस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए**



केन्द्रीय मुहर विभाग -2

संदर्भ: सी एम डी-2/जी -18

03 04 2018

विषय : राजपत्र अधिसूचना - मुहरांकन शुल्क

प्रबन्धक

भारत सरकार का मुद्रणालय

रिंग रोड, मायापुरी,

नई दिल्ली 110064

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ, साथ में अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद भी संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि इसे भारत के राजपत्र भाग 2 के खंड 3 के उपखंड (ii) के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

धन्यवाद।

भवदीय,

हस्ता/-

(एम.वी.एस.डी प्रसादा राव)

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

अनुलग्नक : 2

**TO BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)**  
**Ministry of Consumers Affairs Food and Public Distribution**  
**(Department of Consumer Affairs)**  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**New Delhi**  
**NOTIFICATION**

In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking Fee for the product given in the schedule:

**THE SCHEDULE**

IS No.	Pt	Sec	Year	Product	Units	Minimum Marking Fee (Rs.)		Slab 1 Rate (Rs.)	Slab 1 Qty	Slab 2 Rate (Rs.)	Slab 2 Qty	Slab 3 Rate (Rs.)	Slab 3 Qty	Effective Date
						Large Scale	MSME							
1239	2	-	2011	Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings Part 2 Steel Pipe Fittings	1 Tonne	60000	48000	43.20	All	0	0	0	0	03 04 2018
3309	-	-	1992	Soluble Coffee-Chicory Powder - Specification	1 Kg.	50000	40000	0.26	All	0	0	0	0	03 04 2018

Sd/-  
(M. V. S. D. Prasada Rao)  
DDG (Certification)

Our Ref : CMD-2/G-18

Dated : 03 04 2018

भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ )

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली

अधिसूचना

भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है :

अनुसूची

भारतीय मानक संख्या	भाग	अनु भाग	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन शुल्क (रु)		इकाई दर स्लैब 1 (रु)	स्लैब में इकाईयां	इकाई दर स्लैब 2(रु)	स्लैब 2 में इकाई यां	इकाई दर स्लैब 3 (रु)	स्लैब 3 में इकाईयां	प्रचालन तिथि
						वृहद स्तर	एमएसए मइ							
1239	2	-	2011	इस्पात की नलियाँ, नलिकाकार सामग्रियाँ तथा इस्पात की अन्य फिटिंगे	1 टन	60000	48000	43.20	सभी	0	0	0	0	03 04 2018
3309	-	-	1992	विलेय कॉफी कासनी चूर्ण	1 किलो ग्राम	50000	40000	0.26	सभी	0	0	0	0	03 04 2018

हस्ता/-

(एम.वी.एस.डी प्रसादा राव)

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

हमारा संदर्भ : सीएमडी-2/जी -18

दिनांक : 03 04 2018